(वाद संख्या–1520/18)

09.02.2021

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, जगदीश दास द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दिल्ली को दिये गये परिवाद के आधार पर संस्थित किया गया है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा राज्य आयोग को विचारण हेतु हस्तान्तरित किया गया है।

प्रसंगाधीन मामला सिमराही, थाना–राघोपुर, जिला–सुपौल, में पुलिस के भय से मृत्युंजय कुमार दास द्वारा भागकर पोखर में कूद जाने के कारण डूब कर हुई अप्राकृतिक मृत्यु से संबंधित है।

उक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक, सुपौल द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, वीरपुर द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदनानुसार विजय कुमार सिंह, स0अ0नि0, राघोपुर थाना द्वारा परिवाद–पत्र में उल्लेखित तथ्यों के जांच के क्रम में परिवादी से पूछ–ताछ की गयी। उनके द्वारा बताया गया कि सरकार के द्वारा मुआवजा प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवादी द्वारा प्रसंगाधीन परिवाद दाखिल किया गया है। मृतक मृत्युंजय दास की माँ सुमित्रा देवी द्वारा यह सूचित किया गया है कि उनकी ओर से कोई आवेदन राष्ट्रीय आयोग में नहीं दिया गया है और न ही वे लोग परिवादी जगदीश दास को जानत– पहचानते हैं।

पुलिस अधीक्षक, सुपौल के उपरोक्त प्रतिवेदन पर परिवादी जगदीश दास द्वारा राज्य आयोग के समक्ष प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। अपने प्रत्युत्तर में परिवादी, जगदीश दास का कथन है कि पुलिस द्वारा दबाव डालकर राज्य आयोग के समक्ष मृतक की माँ के कथन को उद्धृत करते हुए गलत प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

उक्त प्रत्युत्तर पर पुलिस अधीक्षक, सुपौल से प्रतिवेदन की मांग की गयी। पुलिस अधीक्षक, सुपौल द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, वीरपुर के जांच प्रतिवेदन को अनुलग्निन कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, वीरपुर के जांच प्रतिवेदन के अनुसार मृतक के

परिवार के सदस्यों द्वारा बताया गया कि छठ पोखर, सिमराही में अधिक पानी होने के कारण दिनांक 07.10.2017 को पोखर में डूब जाने से मृत्युंजय दास की मृत्यु हो गयी थी, जिसकी सूचना मृतक मृत्युंजय दास की पत्नी द्वारा थाना को दी गयी थी। तत्पश्चात् मृतक का पोस्टमार्टम हुआ। मृत्यु के बाद दाह–संस्कार के लिये मृतक के परिवार को 3,000/–रुपये स्थानीय मुखिया द्वारा दिया गया था। परिवादी, जगदीश दास से उनका कोई लेना–देना नहीं है।

तत्पश्चात् पुलिस अधीक्षक, सुपौल के उक्त प्रतिवेदन पर परिवादी, जगदीश दास द्वारा राज्य आयोग को अपना प्रत्युत्तर दाखिल किया गया जिसमें पुनः उनके द्वारा पुलिस प्रतिवेदन से असहमति व्यक्त की गयी।

तत्पश्चात् परिवादी को राज्य आयोग के समक्ष उपस्थिति हेतु नोटिस निर्गत किया गया तथा उन्हें यह भी सूचित किया गया कि अगर वह राज्य आयोग के समक्ष आज उपस्थित नहीं होंगे तो राज्य आयोग द्वारा पुलिस प्रतिवेदन से सहमत होकर प्रसंगाधीन मामले को संचिकास्त कर दिया जायेगा, इसके बावजूद भी परिवादी, जगदीश दास आज उपस्थित नहीं हुए।

पुलिस प्रतिवेदन के साथ परिवादी के परिवार के सदस्यों का आवेदन भी संलग्न है जिसमें उनके द्वारा पुलिस प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त की गयी, जबकि परिवादी, जगदीश दास द्वारा अपने प्रत्युत्तर के साथ कभी भी मृतक के परिवार के नजदीकी सदस्यों (यथा पत्नी, माँ, पुत्र–पुत्री) का कोई आवेदन संलग्न नहीं किया गया है।

उपरोक्त परिस्थिति में पुलिस अधीक्षक, सुपौल के प्रतिवेदनों से सहमत होकर राज्य आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले को संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>